राजस्व प्रकरण संख्या:—46 / 2015

दायर तारीख 01.10.2015

किशना पिता पाबु बंजारा उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...............वादी

बनाम

01. शम्भू पिता मोहन जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
02. प्रभू पिता नारायण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
03. जगदीश पिता नारायण जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
04. छीतर पिता रोडा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
05. रतिराम पिता मगना जाति गुर्जर उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा
06. हंसराज पिता रामा जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी दुदीयाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

...........प्रतिवादीगण

उपस्थित:—

छीतरलाल धाकड अधिवक्ता वादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 रा0टि0एक्ट0

:—निर्णय:—

दिनांक 16.01.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 183—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्व प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दुदियाखेडी तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राजस्थान का निवासी होकर ग्राम जलिन्द्री व पटवार हल्का जलिन्द्री में वादी की खातेदारी भूमि है। जिसका विवरण इस प्रकार है खाता संख्या 68 आराजी संख्या 11 / 3 रकबा 3 बीघा भूमि जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है एंव लगान राज्य सरकार में जमा कराता आ रहा है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी के पडोसी है। वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार निहित नही है एंव न ही उक्त आराजी को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को रहन या विक्रय की है। उक्त वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा करने की नियत से दिनांक 10.03.2014 को प्रार्थी की भूमि को जबरदस्ती हाक कर उस पर अवैध कब्जा कर लिया तथा वादी द्वारा मना करने पर लडाई झगडा करने पर एंव मारपीट करने पर आमदा हुये। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात पर बिना किसी हक अधिकार के अवैध कब्जा कर लिया गया। वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी की चहुओर की सीमा की जानकारी बाबत दिनांक 12.05.2014 को पत्थरगढी बाबत आदेश लिया जिसकी पालना में दिनांक 18.05.2015 को जमीन की पत्थरगढी की गई। जिसमें वादग्रस्त आराजी में 5 बिस्वा भूमि पर वादी क्रमांक 1 का कब्जा, 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त कब्ज़ा, 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 4 का कब्जा, 4 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 5 का कब्जा एंव 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 6 का कब्जा पाया गया उक्त जानकारी पश्चात प्रतिवादीगण को कब्जा छोडने बाबत कहा गया तो प्रतिवादीगण

16.01.18
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाडा

... अवैध कब्जा किये जाने एवं दिनांक 18.05.2015 को पत्थरगढी किये जाने के पश्चात भी कब्जा नही छोडने से उत्पन्न होकर सतत् रुप से जारी है। इस्त आश्य की बेदखली की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे कि मौजा व पटवार हल्का जलिन्द्री की आराजी नं0 11/3 रकबा 3 बीघा से उनके कब्जे के अनुसार प्रतिवादीगण को बेदखल किया जावे एंव वादग्रस्त आराजीयात का कब्जा पुनः वादी को सिपुर्द किया जावे। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरुद्व प्रतिवादीगण के सादिर फरमाई जावे की प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर पुनः कब्जा नही करे वादी को बेदखल नही करे। साथ ही वादी कब्जा प्राप्ति दिनांक तक लगान का 50 गुणा राशि बतौर मुहावजा प्राप्त करने का अधिकारी है वादपत्र डिक्रीं फरमांई जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादीगण बावजूद सुचना गैर हाजिर रहने से दिनांक 16.01.2018 को एकपक्षिय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

वादी ने वादपत्र के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 नक्शा ट्रेस, मौका पर्चा, पत्थरगढी की प्रति प्रस्तुत की है।

प्रकरण एकपक्षिय होने से तनकीयात कायम नही की जाकर प्रकरण को शहादत वादी में रखा गया। साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू I किशना पिता पाबु बंजारा निवासी दुदियाखेडी के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया कि ग्राम जलिन्द्री में मेरी जमीन 3 बीघा है खसरा नं0 11/3 है उक्त जमीन के पडोसी धराउ में कजोड मीणा लंकाउ जोधा मीणा उगाणी की तरफ मांगू मीणा की जमीन है। आतुणी की तरफ जोघा मीणा की भूमि स्थित है इनके मध्य मेरी जमीन है। मै प्रतिवादीगण को जानता हुॅ। इन्होने ने मेरी खातेदारी भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है। मेने मेरी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी कराई तब मुझे पता लगा की मेरी जमीन पर 3 बीघा में से 1 बीघा 19 बिस्वा पर प्रतिवादीगण ने अवैध कब्जा कर रखा है। मेरी ज़मीन पर प्रतिवादी संख्या 1 ने 5 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा संयुक्त रुप से 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 5 ने 4 बिस्वा पर प्रतिवादी संख्या 6 ने 10 बिंस्वा पर कब्जा कर रखा है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2069 से 72 प्रदर्श–1 है पत्थरगढी मौका पर्चा प्रदर्श–2 है। मुझे मेरी जमीन की खातेदारी वादकारण दिनांक 12.05.2014 को पत्थरगढी कराई तभी से उत्पन्न हो सतत् रुप से जारी हैं मुझे मेरी जमीन खातेदारी भूमि से प्रतिवादीगणं का अवैध कब्जा हटाया जाकर कब्जा दिलाया जावे एंव उचित मुआवजा जो भी हो न्यायहीत में दिलाया जावे। प्रतिवादीगणो को मेरे कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न न करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जावे।

16.01.18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

साक्ष्य वादी में पी.डब्ल्यू II परमा पिता देराम बंजारा निवासी दुदियाखेडी के बयान करवाये गये।

बयान में लिखवाया गया कि में ग्राम जलिन्द्री में स्थित वादी किशना की भुमि को जानता हुॅ जो लगभग 3 बीघा भुमि है इसी भुमि के पास मेरी भी कृषि भूमि है। में प्रतिवादीगण को भी जानता हुॅ। यह कहना सही है कि प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी ने उसकी भूमि की पत्थरगढी करवाई उसकी जानकारी मुझे है। प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है उनकी वहा कोई खातेदारी भूमि नही है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर कब्जे के संबंध में लडाई झगडा किया तथा वादीगण उसकी खातेदारी भूमि

पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाया जाकर वादी को कब्जा दिलाया जाना उचित होगा।

वादी द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

प्रकरण एकपक्षिय होने से बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये निवेदन करते हुये वादपत्र को डिक्री की जाने की मांग की है। वादी के ग्राम जलिन्द्री में स्थित आराजी नं0 11/3 रकबा 3 बीघा भूमि वादी के एकल स्वामित्व की है। प्रतिवादी द्वारा अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है वादी ने गवाहो के बयान करवाये है पत्थरगढी का पर्चा प्रस्तुत किया है वादपत्र डिक्री फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस अधिवक्ता वादी पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अवलोकन से वादी ग्राम जलिन्द्री स्थित आराजी नं0 11/3 रकबा 3 बीघा भूमि का वादी खातेदार है। वादग्रस्त आराजी की चहुओर की सीमा की जानकारी बाबत दिनांक 12.05.2014 को पत्थरगढी बाबत आदेश होने पर पालना में दिनांक 18.05.2015 को जमीन की पत्थरगढी का पर्चा साक्ष्य में ईएक्स II प्रस्तुत किया है। दिनांक 18.05.2015 को वक्त पत्थरगढी आराजी नं0 11/3 रकबा 3 बीघा भूमि में से शंभू पिता मोहन बलाई द्वारा 5 बिस्वा भूमि प्रभू जगदीश पिता नारायण बलाई द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर, छीतर पिता रोडा मीणा द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर, रतिराम पिता मगना गुर्जर द्वारा 4 बिस्वा भूमि पर, हंसराय पिता रामा मीणा द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर कब्जा कर बाडे आदि बना रखे है। इस प्रकार वादी की 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगणों का कब्जा पाया गया। वादग्रस्त भूमि का वादी का एकल स्वामित्व होकर खातेदार है वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादीगण का किसी प्रकार से हक व हिस्सा एंव स्वामित्व निहित नही है प्रस्तुत वादपत्र वादी डिक्री योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 183—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम डिक्री किया जाकर ग्राम जलिन्द्री स्थित आराजी नं0 11/3 रकबा 3 बीघा में से शंभू पिता मोहन बलाई द्वारा 5 बिस्वा भूमि प्रभू जगदीश पिता नारायण बलाई द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर, छीतर पिता रोडा मीणा द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर, रतिराम पिता मगना गुर्जर द्वारा 4 बिस्वा भूमि पर, हंसराय पिता रामा मीणा द्वारा 10 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगणो को बेदखल किया जाकर (कब्जा हटवाया जाकर) भूमि वादी को सिपूर्द कि जावे। साथ ही 188 रा0टि0एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य से जारी कि जाती है कि वादग्रस्त भूमि से वादी को बेदखल नही करे न अन्य से करावे। खर्चा अपना—अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 16.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.01.18

(प्रवीण कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया